

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229919
SG-DL-E-24092021-229919

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181
No. 271]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 181

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

सं.फा.1(14)/अभिलेख/2015/1319.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं.फा.27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या फा. 2(42)/75—एस.II द्वारा अधिसूचित पद संरक्षण पर्यवेक्षक के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संरक्षण पर्यवेक्षक के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, परिरक्षण पर्यवेक्षक भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा वनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वहव्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम अधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।6. **बचाव** :—इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम।	:	परिरक्षण पर्यवेक्षक।
2.	पदों की संख्या।	:	01*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण।	:	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	:	स्तर— 5 (रुपये 29200—92300)।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा।	:	18—27 वर्ष के बीच। टीप 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट होगी। टीप 2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होंगे।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं।	:	अनिवार्य :— (i) किसी मान्यताप्राप्त वि० विद्यालय से स्नातक की उपाधि। (ii) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से पुस्तकों, पांडुलिपियों एवं अभिलेखों की सुरक्षा एवं संरक्षण में प्रमाण-पत्र।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	:	सीधीभर्ती के लिये दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति।	:	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	:	प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) : केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ केंद्र — शासित प्रदेश प्रशासन/

	/ स्थानांतरण किया जाना है।	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ संवैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों/ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद को धारण किए हो, अथवा (ii) मूल कैडर/विभाग में पे-मैट्रिक्स अथवा समकक्ष में स्तर-4 के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा के साथ। और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं रखता हो : अनिवार्य :- (i) किसी मान्यताप्राप्त वि"विद्यालय से स्नातक की उपाधि। (ii) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से पुस्तकों, पांडुलिपियों एवं अभिलेखों की सुरक्षा एवं संरक्षण में प्रमाण-पत्र। टिप : (केंद्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, जो सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा हुई नियुक्ति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति स्थायीकरण पर विचारार्थ : 1. प्रधानसचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष। 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग/अभिलेखागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य। 3. उप-सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा/अभिलेखागार)

DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2021

No.F. 1(14)/Archives/2015/1319.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Preservation Supervisor notified vide notification No. F.2(42)/75-S.II dated 28th August, 1975, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Preservation Supervisor in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement. - (1) These rules may be called the Department of Delhi Archives Preservation Supervisor, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level
(1)	(2)	(3)	(4)
Preservation Supervisor.	01* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group – 'C' Non-Gazette, Non-Ministerial.	Level – 5 (Rs. 29200 -92300).

Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not Applicable	Between 18 and 27 years. Note 1 : The Upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority.	Essential: 1. Graduate degree from a recognized University. 2. Certificate course in care and conservation of Books, Manuscripts and Archives from National Archives of India.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of Probations, if any.	Method of Recruitment.
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Two years for direct recruits	By Deputation (ISTC) failing which by Direct Recruitment.

In case of recruitment, by promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<u>Deputation (ISTC) :</u> Officers from the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Bodies/Recognized Universities/Recognized Research Institutes: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with fiveyears service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; AND (b) possessing the following educational qualifications : Essential: 1. Graduate degree from a recognized University. 2. Certificate course in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives from National Archives of India. Note : (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications).	Group-C Departmental Promotion Committee for considering confirmation : 1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi –Chairman. 2. Secretary (ACL/ Archives), Government of NCT of Delhi –Member. 3. Deputy Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi –Member.	Not Applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SWATI SHARMA, Secy. (ACL/Archives)